न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 127/2020

1. श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रीछमालिया तह0पीसागंन जिला अजमेर ..प्रार्थीया

बनाम

1. श्री बलवीर सिंह
2. श्री भैरूसिंह
   दोनों पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
3. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह
   समस्त की जाति राजपूत निवासीगण रीछमालिया तहसील पीसागंन जिला अजमेर
4. श्री सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन

......अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956</u>
<u>सपठित धारा 209, 88, राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :– श्री विजयराज कुमावत – अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 03.11.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम रीछमालिया तहसील पीसागंन के खाता संख्या 516 नया 486 पुराना के खसरा सख्या 184/2374 कुल किता 1 रकबा 0.87 है0 की आराजी में सवंत 2064–2067, 2068–2071, 2072–2075 की जमाबदीं में प्रारम्भ से ही नाम जानकंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह दर्शाया गया है । जबकि प्रार्थीया के सभी अन्य कागजात में जैसे जन आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम रतनकंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि यदि उक्त नाम दुरूस्ती की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीया अभिभाषक की एकपक्षिय बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम रीछमालिया तहसील पीसागंन के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या 516 नया 486 पुराना के खसरा संख्या 184/2374 कुल किता 1 रकबा 0.87 है0 में प्रार्थीया का नाम जानकंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रतनकवंर पत्नि लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसागन (अजमेर)